संख्या-71/2021/2056 ई-2/तेरह-2021- 229885

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 अक्टूबर,2021

विषय- मेसर्स डालमिया भारत सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. ,(डालमिया चीनी मिल्स) डिस्टलरी डिवीजन, यूनिट रामगढ, ग्राम-रामगढ,-महसुई, पोस्ट-रामगढ,तहसील-मिश्रिख,जनपद सीतापुर को केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-56/दो-प्रा.डी.-224 दिनांक 30 सितम्बर,2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 . इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित मेसर्स डालमिया भारत सुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.,(डालमिया चीनी मिल्स) डिस्टलरी डिवीजन, यूनिट रामगढ, ग्राम-रामगढ,-महसुई, पोस्ट-रामगढ,तहसील-मिश्रिख,जनपद सीतापुर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा केन जूस/शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ - साथ केन जूस/शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा आयुक्त,गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 22-09-2021 द्वारा जिन शर्तो/ प्रतिबन्धों के साथ गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/अल्कोहल उत्पादन करने हेतु अनापत्ति इकाई को निर्गत की गयी है का अनुपालन इकाई द्वारा करते हुए शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उक्त के अतिरिक्त आसवक को निम्न लिखित शर्तो का भी अनुपालन करना होगाः-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।
(3) आसवक द्वारा केन जूस /शुगर सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ-साथ केन जूस/शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in